न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी हसनपुर (अमरोहा)

वाद सं० T2021133870038424 धारा 80 UPRC

ग्राम - भगवानपुर खादर तह० व परगना हसनपुर

एजू० ए० वैल० ट्रस्ट हाउस बनाम उ०प्र० सरकार

नकल - निर्णय आदेश दि० 20-10-2021 की छाया सत्य-प्रतिलिपि संलग्न

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :हसनपुर
वाद सख्या :-8424/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद सख्या :-T2021133870038424
एज0 ए0 वैल0 ट्रस्ट हाउस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट हाउस न0 81 अमरोहा उ0 प्र0 द्वारा अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी 72/1 तक्षशिला कालोनी गढ रोड मेरठ व सचिव ट्रस्टी जयदेव सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी हाउस न0 81 अमरोहा ग्रीन हाल निवासी म0 न0 201 ए0 सी0 ब्लाक हरि नगर क्लॉक टावर मायापुरी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली 64, व प्रबन्धक ट्रस्टी श्री सार्थक चन्द्र पुत्र गिरीचन्द्र निवासी एम0एल0ए0 हाउस खुशहालपुर मुरादाबाद द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–80 (1) उ0प्र0 राजस्व संहिता –2006 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रार्थीगण की भूमि स्थित ग्राम भगवानपुर खादर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा स0 287/1.0190 हे0 के स्वामी व काबिज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है, अपितु उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन के बजाय गैर कृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। अन्त में उक्त भूमि को कृषिक के स्थान पर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार हसनपुर से जॉचोंपरान्त आख्या तलब की गयी। तहसीलदार हसनपुर द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 01.10.2021 के अर्न्तगत अवगत कराया है कि भूमि स्थित ग्राम भगवानपुर खादर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा स0 287/1.0190 पर श्री एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट हाउस न0 81 अमरोहा उ0 प्र0 द्वारा अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी 72/1 तक्षशिला कालोनी गढ रोड मेरठ व सचिव ट्रस्टी जयदेव सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी हाउस न0 81 अमरोहा ग्रीन हाल निवासी म0 न0 201 ए0 सी0 ब्लाक हरि नगर क्लॉक टावर मायापुरी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली 64, व प्रबन्धक ट्रस्टी श्री सार्थक चन्द्र पुत्र गिरीचन्द्र निवासी एम0एल0ए0 हाउस खुशहालपुर मुरादाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा मौके पर काबिज व दखील है। उक्त गाटा संख्या राजस्व अभिलेखों यथा 1359 फसली, जोत चकबंदी आकार पत्र 41, 45 व वर्तमान खतौनी में कृषि भूमि अंकित है। इसमें सार्वजनिक /ग्राम सभा व धारा 77 की भूमि सम्मिलित नहीं है और उक्त भूमि के बावत किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि विवाद रहित है। उक्त भूमि में मौके पर कालिज की बिल्डिंग बनी है। मौके पर उक्त भूमि में कृषि कार्य/मत्स्य पालन /कुक्कुट पालन/बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन के बजाय गैर कृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। उक्त भूमि हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार/सेन्चुरी ऐरिया, सड़क, रेलवे लाईन के अर्न्तगत नहीं आती है, और न ही उक्त भूमि किसी योजना/परियोजना के अर्न्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। अन्त में भूमि स्थित ग्राम भगवानपुर खादर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा स0 287/1.0190 हे0 खाता खतौनी संख्या 00022 यूनिक गाटा सं0 118200–0287–000012 को गैर कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

शेष पृष्ठ–2 पर—

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :हसनपुर
वाद संख्या :-8424/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2021133870038424
एजू0 ए0 वेल0 ट्रस्ट हाउस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मैने प्रार्थीगण को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार हसनपुर की जॉच आख्या दिनांक 01.10.2021 का अवलोकन एवं परीक्षण किया। तहसीलदार हसनपुर की जॉच आख्यानुसार प्रार्थीगण की भूमि कृषि प्रयोजन के बजाय गैर कृषिक उपयोग में प्रयोग हो रही है। उक्त भूमि में मौके पर कालिज की बिल्डिंग बनी है। उक्त भूमि में कृषि कार्य/मत्स्य पालन/कुक्कुटपालन/ बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन के बजाय गैर कृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। उक्त भूमि हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार/सेन्चुरी ऐरिया, सड़क, रेलवे लाईन के अर्न्तगत नहीं आती है, और न ही उक्त भूमि किसी योजना/परियोजना के अर्न्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा–80(2) में प्राविधानित किया गया है कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिये जोत या उसके उपयोग भाग के चारों ओर चाहर दीवारी अवश्य होनी चाहिए, जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो: परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बंन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा 'व्यपगत हो जाएगी, परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू–उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि के रूप में समझी जाएगी, तथापि, भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गई हो, पर प्रस्तावित अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाऐं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रार्थी द्वारा राजस्व संहिता नियमावली–2006– के नियम –85 के प्रस्तर–2 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि का एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क अंकन रू0 71330–00 चालान सं0 8601/01/जे.बी. 00045 दिनांक 11.10.2021, उदघोषणा शुल्क रू0 71330/–00 चालान सं0 8601/01/जे.बी. 00044 दिनांक 11.10.2021 एवं सीमाकन शुल्क मु0 1000/–00 चालान सं0 8601/01/जे.बी. 00046 दिनांक 11.10.2021 को जमा किया चुका है। अतः उपर्युक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि तहसीलदार हसनपुर की जॉच आख्या दिनांक 01.10.2021 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

शेष पृष्ठ–3 पर––

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :हसनपुर
वाद सख्या :-8424/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद सख्या :-T2021133870038424
एजु0 ए0 वेल0 ट्रस्ट हाउस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(3)

आदेश

अतः तहसीलदार हसनपुर की आख्या दिनांक 01.10.2021 स्वीकार की जाकर आवेदकगण श्री एजूकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट हाउस न0 81 अमरोहा उ0 प्र0 द्वारा अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी 72/1 तक्षशिला कालोनी गढ रोड मेरठ व सचिव ट्रस्टी जयदेव सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी हाउस न0 81 अमरोहा ग्रीन हाल निवासी म0 न0 201 ए0 सी0 ब्लाक हरि नगर क्लॉक टावर मायापुरी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली 64, व प्रबन्धक ट्रस्टी श्री सार्थक चन्द्र पुत्र गिरीचन्द्र निवासी एम0एल0ए0 हाउस खुशहालपुर मुरादाबाद की भूमि स्थित ग्राम भगवानपुर खादर के गाटा स0 287/1.0190 हे0 को लगान मुक्त करते हुए उ0 प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 (2) के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा एवं तहसीलदार हसनपुर की जॉच आख्या दिनांक 01.10.2021 आदेश का अंग रहेंगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार हसनपुर को अमलदरामद हेतु एवं उपनिबंधक हसनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

दिनांक 20.10.2021

(संजय कुमार)
सहा0 कलैक्टर (प्र0 श्रेणी)/
उपजिलाधिकारी हसनपुर।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

उपजिलाधिकारी हसनपुर

क0 सं0 236 दिनांक 27-12-21
प्रार्थी का नाम रमेश चन्द्र सिंह S50
शब्द 800 लगभग/टिकट 217-00
तैयार का दिनांक 29-12-21
नकल जारी करने का दिनांक 29-12-21

नकलकर्ता के ह०
मिलानकर्ता के ह०

पृष्ठ संख्या :

Scanned with CamScanner